<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।</u>

CNR No.–UPLP 1200 1652 2026
प्रकीर्ण फौजदारी सं०–105/2026
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–122/2026
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

राजकुमार आयु लगभग 31 वर्ष पुत्र गुलजारी निवासी ग्राम मस्तीपुर, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी।

... ...प्रार्थी।

बनाम

1– प्रमोद कुमार आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र सुमेर,
2– शुभम आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र प्रमोद कुमार,
3– तीन अज्ञात व्यक्ति,
सर्व निवासी कस्बा व थाना पसगवा, जनपद लखीमपुर खीरी।

... ...विपक्षीगण।

<u>दिनांकः 03.07.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थनापत्र दिनांकित 04.06.2026 अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी को जरिए विद्वान अधिवक्ता पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थी राजकुमार आयु लगभग 31 वर्ष पुत्र स्व० गुलजारी निवासी ग्राम मस्तीपुर, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी अपने दोनों पैरों से दिव्यांग है व अंजली आयु 31 वर्ष पुत्र प्रमोद कुमार निवासी कस्बा व थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी एक–दूसरे से कई वर्षों से प्रेम करते हैं तथा लगभग 3 वर्षों से रिलेशनशिप में थे। प्रार्थी व अंजली ने दिनांक 07.05.2026 को माँ ललिता देवी मन्दिर नैमिषारण्य जनपद सीतापुर में आपसी सहमति व मर्जी से गवाहान अंकुश पुत्र सुरेश, लल्लूराम पुत्र कढ़िले व सुशीला देवी पत्नी स्व० गुलजारी के सामने अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर व एक–दूसरे को वरमाला पहनाकर हिन्दू रीति–रिवाज से विवाह कर लिया। विवाह के उपरान्त प्रार्थी व अंजली एक–दूसरे के साथ ग्राम मस्तीपुर, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी में बतौर पति–पत्नी रहने लगे। दिनांक 15.05.2026 को समय लगभग 11 बजे दिन में प्रमोद कुमार पुत्र सुमेर, शुभम पुत्र प्रमोद कुमार व तीन व्यक्ति अज्ञात जो कि प्रार्थी व अंजली के विवाह की वजह से रंजिश रखते थे प्रार्थी के घर पर आये और प्रार्थी के घर में घुसकर हमला कर दिया और प्रार्थी व उसकी पत्नी अंजली को माँ–बहन की गंदी–गंदी गालियां देते हुए लात–घूसों व डंडों से मारने पीटने लगे। प्रार्थी के शोर पर आस पड़ोस के कई लोग मौके पर आ गये तब सभी विपक्षीगण, प्रार्थी की पत्नी अंजली को जबरिया अपहरण कर कार में बंद करके अपने साथ लेकर चले गए और धमकी दी कि इसकी हत्या करके शव नदी में बहा देंगे तब प्रार्थी ने थाना पसगवां में प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु विपक्षीगण की राजनैतिक पकड़ के चलते प्रार्थी की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 25.05.2026 को प्रार्थी की पत्नी ने प्रार्थी के पास फोन किया और बताया कि विपक्षीगण ने मुझे अज्ञात स्थान पर एक कमरे में बंद कर दिया है और बेरहमी से मारते पीटते हैं और खाना आदि भी नहीं देते हैं, मुझे बचा लो नहीं तो यह लोग मेरी हत्या कर देंगे जिसकी ऑडियो रिकार्डिंग प्रार्थी के पास साक्ष्य के बतौर पेनड्राइव व विवाह सहमति पत्र व फोटो आदि साक्ष्य के तौर पर इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.05.2026 को पुलिस अधीक्षक, जनपद खीरी को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, परन्तु अबी तक न तो प्रार्थी की रिपोर्ट लिखी गयी और न ही प्रार्थी की पत्नी अंजली को बरामद कराया गया तब प्रार्थी विवश होकर न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने व प्रार्थी की पत्नी अंजली को बरामद कराये जाने हेतु आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने व प्रार्थी की पत्नी अंजली को बरामद कराये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की कृपा की जावे।

प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी व थाना प्रभारी थाना पसगवां को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियां, आधार कार्ड की छायाप्रति, सहमति पत्र दिनांकित 08.05.2026 की छायाप्रति एवं डाक रसीद प्रस्तुत की गयी हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना पसगवां की आख्या दिनांकित 06.06.2026 के अनुसार उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों को वर्णित किया गया है, उन समस्त तथ्यों से प्रार्थी भली–भांति परिचित है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि इस प्रकरण की जांच न्यायालय द्वारा स्वयं की जाये। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त मामले की धारा 225 बी०एन०एस०एस० के तहत विवेचना कराई जा सकती है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयन सम्मानित विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (57) ए०सी०सी० 739** एवं **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 2001 (43) ए०सी०सी० पेज 50** में दिए गए दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत कर न्यायालय द्वारा जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी०एन०एस०एस०, परिवाद के रुप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली दिनांक–25.08.2026 को वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० हेतु पेश हो।

दिनांकः 03.07.2026

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।